झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान–सभा
द्वितीय (बजट) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण– सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन के नियम– 147 के अन्तर्गत दिनांक– 02.03.2020 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :–

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01–	श्री किशुन कुमार दास, कुशवाहा शशि भुषण मेहता एवं श्री जय प्रकाश भाई पटेल स0वि0स0	चतरा जिला के टण्डवा प्रखण्ड अन्तर्गत सी0 सी0 एल0 कम्पनी के मगध एवं आम्रपाली परियोजना कम्पनी कोयला खनन का कार्य निर्बाध गति से कर रही ही है। सरकारी प्रावधानानुसार रैयतों की अधिगृहित जमीनों के बदले उन्हें दो एकड़ भूमि पर एक सरकारी नौकरी और प्रावधानानुसार मुआवजा भी कम्पनी को देना है, लेकिन प्रबन्धन द्वारा एक ओर जबरदस्ती उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया गया है और नाम मात्र का मुआवजा देकर अपना पल्ला झाड़ा जा रहा है। तथा नौकरी किन्ही को नहीं दी जा रही है। अंधाधुंध हो रहे खनन कार्य से आसपास के ईलाकों में प्रदूषण चरम सीमा पर है। सड़क नाम की चीज कही नहीं है। जेनरेटर से प्रबंधन बिजली सम्बन्धी अपना काम चला रहा है, परन्तु आम नागरिकों को बिजली नहीं दी गयी है और ना ही उनके लिए पेयजल, चिकित्सा और शिक्षा की ही कोई व्यवस्था है।	राजस्व एवं भूमि सुधार

01.	02.	03.	04.
		पानी का छिड़काव नहीं होने से धूलकणों से आमलोगों का जीना दूभर हो गया है। बड़े-बड़े वाहनों से माल ढुलाई का काम हो रहा है, इससे अभी तक हजारों व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त भी हो चुके है। अतः सी०सी०एल० द्वारा अधिगृहित सम्पूर्ण जमीनों के बदले रैयतों को नौकरी एवं मुआवजा के साथ-साथ मूलभूत सुविधायें यथा बिजली, पानी, शिक्षा आदि की समुचित व्यवस्था हेतु सदन का ध्यानाकृष्ट करते है।	
02-	श्री सुदिव्य कुमार डॉ० सरफराज अहमद एवं श्री दीपक बिरूवा स०वि०स०	झारखण्ड राज्य में 24x7 एम्बुलेंस सेवा हेतु पिछली सरकार के कार्यकाल में निविदा निकाली गयी थी जिसमें BAFNA तथा NATRAJ कम्पनियों का चयन हुआ था। उस वक्त उनके द्वारा ईलाज हेतु BRANDED सामग्रियों की सूची समर्पित की गयी थी जिसके आलोक में ही इनका चयन हुआ था और इनके द्वारा सम्पूर्ण साकारात्मक शर्त्तो के तहत् एकरारनामा भी किया गया था, जिसके तहत् दुर्घटनास्थल पर शीघ्रातिशीघ्र पहुँचकर घायल व्यक्ति के प्राण रक्षा करना मुख्य शर्त्त थी, लेकिन इनके द्वारा किसी भी शर्त्त का पालन नही किया जा रहा है। आम आदमी इनसे सम्पर्क ही नही कर पाता है। ये सम्बन्धित पदाधिकारियों की पहुँच से भी दूर हो गये है और सरकार के करोड़ों रूपये इनपर खर्च हो रहे है। अतएव मैं इस पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जाँच कर दोषियों के विरूद्ध कठोरतम कार्रवाई किये जाने हेतु सदन का ध्यान आकृष्ट करते है।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण
03	श्री मनीष जायसवाल एवं श्री अमित कुमार मंडल स०वि०स०	राज्य के सभी जिलों के सदर अस्पतालों पर सरकार प्रतिवर्ष मरीजों के स्वास्थ्य चिकित्सा व दवा के साथ-साथ अन्य सुविधा मद पर लगभग 50 करोड़ रूपये से अधिक की राशि खर्च करती है,	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण

01.	02.	03.	04.
		परन्तु अगर किसी जिला में कोई गंभीर रोगी या दुर्घटना में शिकार मरीजों को उक्त अस्पतालों में ईलाज के लिए लाई जाने पर अक्सर देखा जाता है कि ड्यूटी में तैनात चिकित्सक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के बदले उक्त मरीजो को बेहतर ईलाज के नाम की खानापूर्ति कर कही बाहर ईलाज हेतु रेफर कर देते है जिससे राज्य में अबतक सैकड़ों मरीजो की जाने जा चुकी है जिसमें प्रमुख **हजारीबाग, गिरिडीह, चतरा, पलामू एवं देवघर** सहित कई अन्य जिले है। उल्लेखनीय है कि उक्त सदर अस्पतालों में पदस्थापित चिकित्सक अगर उसी जिला के किसी निजी **नर्सिंग होम में वाह्य सेवा** पर कार्यरत होने की स्थिति में किसी भी परिस्थिति में गंभीर-से-गंभीर मरीजों का ईलाज हेतु तत्पर रहते है, जिससे यह प्रतीत होता है कि राज्य के अस्पतालों में पदस्थापित चिकित्सक मरीजों के ईलाज के नाम पर कोरम पूरा कर सरकार द्वारा देय सुविधा का लाभ लेते है और यही कारण है कि राज्य के सबसे **प्रमुख चिकित्सा संस्थान रिम्स** में प्रतिदिन मरीजों की अप्रत्याशित वृद्धि होने के कारण भी मरीजों का बेहतर ईलाज नहीं हो पाती है। यदि सरकार राज्य के सभी सदर अस्पतालों में पदस्थापित सभी चिकित्सकों की सेवा सुनिश्चित करें तो राज्य के अनेकों-अनेक मरीजों की जान को बचाई जाने के साथ-साथ रिम्स में आये दिन मरीजों की बढ़ती दबाव को रोकी जा सकती है। अतः सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान उक्त गंभीर मामले की ओर आकृष्ट कराना चाहते हैं।	
04-	श्री सरयू राय स०वि०स०	"इंकैब इंडस्ट्रीज लिमिटेड" की स्थापना 1920 में ब्रिटिश कम्पनी बीआईसीसी के द्वारा एक समझौता के तहत् की गयी थी।	उद्योग

01.	02.	03.	04.
		उस समय तत्कालीन टिस्को (टाटा स्टील लिमिटेड) ने उसे 177 एकड़ जमीन दिया था। यह भूखंड टिस्को को सरकार द्वारा दिये गये 15724.64 एकड़ जमीन का हिस्सा था जो सरकार ने उसे दिया था। समझौता में अंकित था कि इंकैब को जमीन की जरूरत नहीं रहेगी तो उसे किसी को देने या बेचने से पहले वह स्थानीय सरकार से पूछेगी कि वह समझौता की कंडिका 23(2) के अनुरूप इसे लेना चाहती है या नहीं। ब्रिटिश कम्पनी द्वारा 1985 में इंकैब को छोड़ देने के बाद वह भारत सरकार के अधीन हो गयी। 1985 से 1993 तक काशीनाथ तापूरिया ने वित्तीय संगठनों की पहल पर इसे चलाया। यह कम्पनी दिवालिया हो गयी तो वित्तीय संगठनों ने इसे चलाने के लिए मॉरिसस के "मेसर्स लीडर्स यूनिवर्सल" को दे दिया। इसने कम्पनी के प्रबंधन में कई बार बदलाव किया। कम्पनी मुकदमेबाजी का शिकार हो गयी। कम्पनी को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से जिस प्रबंधन ने इसे लिया उसका उद्देश्य कम्पनी को चलाना नहीं बल्कि इसकी स्थायी संपत्ति को हड़पना था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कम्पनी को चलाने के लिए टाटा स्टील को कहा पर उसने रूचि नहीं लिया। सुनियोजित तरीके से कम्पनी की देनदारियाँ बढ़ा कर इसे बीमार कर दिया गया। लोकवित्त की हेराफेरी करने, मजदूरों के जीवन से खिलवाड़ करने और अमानत में ख्यानत करने वाले के विरूद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। 07 फरवरी, 2020 को एनसीएलटी ने इंकैब को नीलाम करने और संपत्ति बेचकर देनदारियाँ चुकाने का आदेश दिया। लंबे समय से वेतनादि का भुगतान नहीं होने के कारण मजदूरों के सामने भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गयी है, अनेक श्रमिक मौत के मूँह में चले गये हैं।	

		इंकैब को पुनर्जीवित करने हेतु प्रयास करने के लिए राज्य सरकार को पहल करने की जरूरत है। इस विकट समस्या की ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ और विधिसम्मत निर्णय लेने की माँग करता हूँ।	
05	श्री प्रदीप यादव एवं श्री विनोद कुमार सिंह स0वि0स0	झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा 7वी संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2017, 2018 एवं 2019 का विज्ञापन सार्वजनिक हुआ है। दलित, पिछड़ा एवं आदिवासी छात्र भयभीत हैं कि इस बार के प्रारम्भिक परीक्षा (PT) में भी आरक्षण का लाभ हमें मिलेगा या नहीं क्योंकि विज्ञापन में आरक्षण को लेकर स्पष्टता नहीं है। साथ ही छठी JPSC परीक्षा में भी प्रारम्भिक परीक्षा में बिना आरक्षण दिये गये परिणाम को आधार मानकर मुख्य परीक्षा का परिणाम निकाला गया और साक्षात्कार लिया जा रहा है। अतः दलित, पिछड़ों एवं आदिवासियों को संविधान प्रदत आरक्षण का लाभ मिले इस हेतू सरकार समुचित निर्णय ले। हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा

राँची,
दिनांक- 02 मार्च, 2020 ई0।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

कृ0पृ030/-

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-01/2020-.....573...../वि0 स0, राँची, दिनांक- 29/02/2020

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय राँची/राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग/ उद्योग विभाग एवं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/2/2020

(एस शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-01/2020-.....573...../वि0 स0, राँची, दिनांक- 29/02/2020

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

29/2/2020

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

29.02.2020